राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1906/2023

संदीप कुमार —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला अलवर।
5. सहायक कोषाधिकारी, नीमराना, अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.07.2023
आदेश की दिनांक : 03.08.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री पृथ्वी पाल, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (भूगोल) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जौनायचा खुर्द, नीमराना, अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.08.2017 (अनुलग्नक—1) द्वारा अपीलार्थी को व्याख्याता भूगोल के पद पर वर्ष 2017 में पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 14.06.2022 (अनुलग्नक—2) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2017—18 में प्राध्यापक पद पर हुई। उक्त डीपीसी पदस्थापन आदेश में पदोन्नति का चयन दिनांक अंकित नहीं है। चयन दिनांक अंकित नहीं होने के कारण नोशनल वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, जबकि वर्ष 2017—18 के प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य की चयन तिथि जारी की जा चुकी है। चयन दिनांक अंकित नहीं होने के कारण अपीलार्थी के बिल पर सहायक उपकोषाधिकारी, नीमराना द्वारा ओब्जेक्शन लगा दिया गया। अतः अपीलार्थी की प्राध्यापक पद पर चयन तिथि बताई

जावे। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी की पदोन्नति तिथि 01.04.2017 मानी जाए और अपीलार्थी को वेतन निर्धारण के साथ अन्य लाभ भी उक्त तिथि 01.04.2017 से दिए जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य